REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072025-264298 CG-DL-E-02072025-264298

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 471] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 2025/आषाढ़ 10, 1947 No. 471] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 2025/ASHADHA 10, 1947

भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2025

भाण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के साथ वेयरहाउसों के पंजीकरण के लिए प्रतिभूति जमा की आवश्यकता

सं.आईटी -सीआर0बीजीएपी/1/2023-आईटी.—भाण्डागारण (विकास और विनियमन) भाण्डागारण पंजीकरण नियम, 2017 के नियम 19 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसके बाद प्राधिकरण कहा जाएगा) के साथ भाण्डागारण के पंजीकरण के लिए प्रतिभूति जमा की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अधिसूचित करता है, अर्थात: -

- अधिसूचना संख्या टी-23/3/2020-तकनीकी-भाग(1) दिनांक 14 जून, 2024 के खंड 1 और 2 में [,] "इक्कीस कार्य दिवस" शब्दों के स्थान पर, "सात कार्य दिवस" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 2. उक्त अधिसूचना में, खंड 4 में उपखंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

4344 GI/2025

"(iv) क. जहां आवेदक या भाण्डागारपाल कोई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति है, प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूति जमा (तृतीय अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार) के रूप में आवश्यक राशि के लिए क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

- 3. उक्त अधिसूचना में, खंड 4 (v) में बैंक गारंटी के बाद ई-बैंक गारंटी शब्द जोड़ा जाएगा। तदनुसार, खंड 4 (v) को इस प्रकार पढ़ा जाएगा "प्रतिभूति जमा बैंक सावधि जमा या बैंक गारंटी / ई-बैंक गारंटी (प्रथम अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार), या ज़मानत बीमा पॉलिसियों या अनुबंधों या भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा तय किए गए किसी अन्य साधन के रूप में होगी"।
- 4. उक्त अधिसूचना में, द्वितीय अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी; अर्थात्:-

तृतीय अनुसूची क्षतिपूर्ति बांड

इस क्षतिपूर्ति बांड को सरकार द्वारा भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यू डी आर ए) के पक्ष में विलेख द्वारा निष्पादित किया जाता है।

जबकि:

- क. प्राधिकरण की स्थापना भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम) के अधीन की गई है। प्राधिकरण का उद्देश्य उक्त अधिनियम के प्रावधानो के क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर भांडागारो के विकास, भांडागार रसीदो की परक्राम्यता का विनियमन तथा भांडागारण व्यवसाय के सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना है। प्रत्येक व्यक्ति, जो भांडागार व्यवसाय चलाने का इच्छुक है या भांडागार का रखरखाव कर परक्राम्य भांडागार रसीद जारी कर रहा है, उसे उपर्यक्त अधिनियम के अन्तर्गत अपने भांडागार को पंजीकृत कराना आवश्यक है। इसके लिए उसे प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करना होता है।
- ख. अपने भांडागार का पंजीकरण करवाने वाले प्रत्येक आवेदक/भांडागार सेवा प्रदाता से प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने के सात कार्य दिवस के अंदर प्राधिकरण को प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करनी होगी।
- ग. प्रतिभूति जमा की राशि (बैंक गारंटी अथवा जमानत बीमा पॉलिसियो अथवा अनुबंधो अथवा क्षतिपूर्ति बांड या प्राधिकरण द्वारा भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा तय किए गए किसी अन्य तरीके से) दस्तावेज के रूप में प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति/समितियों की ओर से सरकार द्वारा जमा कराई जाएगी तथा पंजीकरण की अवधि के दौरान उसे बनाये रखना होगा। प्रत्येक भांडागार के लिए गत्यात्मक तथा स्थिर प्रतिभूति जमा दोनों मिलाकर कुल पचास हज़ार रूपए होगी।

घ. प्राधिकरण अपने विवेकानुसार प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति द्वारा पहले से जमा प्रतिभूति को वर्तमान प्रतिभूति जमा के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित राशि के प्रति समायोजित कर सकता है। प्रतिभूति जमा को भांडागार के पंजीकरण की समाप्ति, निरस्तीकरण अथवा अभ्यर्पण के छह माह बाद तक अथवा प्रत्येक दावे की संतुष्टि तक, जो भी बाद में हो, जारी नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण के पास प्रतिभूति जमा की राशि को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है। ड. चूंकि प्राधिकरण प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति/समितियों की ओर से सरकार को भांडागार/ भांडागारों के रखरखाव का व्यवसाय चलाने तथा परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने सहित प्रतिभूति जमा के बदले क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्रदान की गई प्रत्येक इकाई को पंजीकरण के आवेदन के साथ क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करना होगा।

अब इसलिए, सरकार के, ऊपर पैराग्राफ (ग) में दिए गए प्रावधान के अनुसार और नीचे दिए गए क्षतिपूर्ति बांड की शर्तों के अनुसार रुपये(केवल रुपये) की राशि (जैसा कि अनुलग्नक में विस्तृत है) के लिए सभी कार्यों, मुकदमों, कार्यवाहियों, खातों, दावों और मांगों से प्राधिकरण को बचाने, बचाव करने और क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति रखने के लिए हर समय सहमत और वचनबद्ध है: -

- मैसर्स (इकाई/इकाइयों का नाम) प्राधिकरण के नियमों और विनियमों के अंतर्गत अपनी ओर से निष्पादित किए जाने वाले सभी दायित्वों का पालन करेंगे।
- सरकार पंजीकरण के निरस्तीकरण, अस्वीकृति या समर्पण के बाद छह महीने तक या प्रत्येक दावे की संतुष्टि होने तक, जो भी बाद में हो, प्राधिकरण को उपरोक्त पैरा 'ग' में उल्लिखित राशि के लिए क्षतिपूर्ति जारी रखने का वचन देता है।
- मैसर्स (इकाई/इकाइयों का नाम) को भांडागार के संबंध में क्षतिपूर्ति बांड के तहत अपने दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा, यदि:
 - क. भांडागार के पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है और यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि भांडागारपाल ने नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन किया है;
 - ख. भाण्डागारपाल अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र समर्पित कर देता है और प्राधिकरण ऐसे समर्पण को स्वीकार कर लेता है; या
 - ग. किसी भांडागार का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है, और प्राधिकरण संतुष्ट है कि भांडागारपाल ने नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन किया है।
- सरकार इसके द्वारा सहमत है कि यदि प्राधिकरण को कोई हानि या क्षति होती है (उपर्युक्त पैराग्राफ (ग) की सीमा तक), सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी।

क्षतिपूर्ति बांड को निम्नांकित की उपस्थिति में तारीख 202...... को निष्पादित किया गया।

निष्पादक

नाम:

पदनाम:

संगठन: (मुहर सहित)

साक्षियों की उपस्थिति में –

1.

2.

तृतीय अनुसूची की अनुक्रमणिका

क्षतिपूर्ति बांड में शामिल प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति/समितियों का विवरण

- ·	प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति का पता	भांडागारों की संख्या	क्षमता मी टन में

जीतेश शर्मा, निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./204/2025-26]

WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June , 2025

Requirement of Security Deposit for registration of warehouses with the Warehousing Development and Regulatory Authority

No. IT-CR0BGAP/1/2023-IT—In exercise of the powers conferred by sub rule (1) of rule 19 of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, the Warehousing Development and Regulatory Authority (hereinafter referred to as the Authority) hereby notifies the following procedure for requirement of security deposit for registration of warehouse with the Authority, namely: -

- In clause 1 and 2 of the notification No. T-23/3/2020-Technical-Part(1) dated 14th June, 2024, for the words "twenty-one working days", the words "seven working days" shall be substituted.
- 2. In the said notification, in the clause 4 after sub clause (iv), the following clause shall be inserted, namely: -"(iv) a. Where the applicant or warehouseman is a Primary Agricultural Cooperative Credit Society, The Authority may allow to submit an Indemnity Bond for the amount required as security deposit (as per format provided in the Third Schedule) issued by the State Government.
- 3. In the said notification, Clause 4 (v) the word e- Bank Guarantee shall be added after Bank Guarantee. Accordingly, Clause 4 (v) shall be read as "The security deposit shall be in the form of Bank Fixed Deposits or in the form of Bank Guarantee /e- Bank Guarantee (as per the format given in the First Schedule), or surety insurance policies or contracts or any other instrument decided by the Authority favouring Warehousing Development & Regulatory Authority".
- 4. In the said notification, after the Second Schedule, the following Schedule shall be inserted; namely:-

THIRD SCHEDULE

INDEMNITY BOND

This indemnity is executed by deed on the day of _____202 Government ofin favour of the Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) hereinafter called "AUTHORITY"

WHEREAS:

- a. The Authority is established under the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (Act, 2007) with the objective to regulate and ensure implementation of the provisions of said Act for development of warehouses, regulations of negotiability of warehouse receipts and promote orderly growth of warehousing business. Every person desirous of commencing or carrying business of maintaining a warehouse issuing negotiable warehouse receipts is required to be registered and for that purpose an application has to be made to the Authority under the said Act.
- b. Every applicant warehouse or Warehouse Service Provider seeking registration of their warehouse shall be required to submit security deposit to the Authority within seven working days of the communication by the Authority.
- c. The value of security deposit (in the form of bank guarantee or surety insurance policies or contracts or indemnity bond or any other instrument decided by the Authority in favour of Warehousing Development and Regulatory Authority) to be deposited by the Government of on behalf of the Primary Agricultural Cooperative Credit Society/ies and to be maintained during the period of registration. The total security deposit shall be fifty thousand rupees (total) per warehouse covering both the dynamic and fixed security deposit
- d. The Authority may at its discretion, adjust the security deposit already furnished for the Primary Agricultural Cooperative Credit Society/ies against the amount required as security deposit. The security deposit shall not be released until six months after cancellation, rejection or surrender of the registration of the warehouse or until after satisfaction of every claim against security deposit whichever is later. The Authority reserves its rights to revise the amount of security deposit.
- e. As the Authority may allow Government of on behalf of Primary Agricultural Cooperative Credit Society/ies which are carrying business of maintaining warehouse (s) and issuing Negotiable Warehouse Receipt, to submit Indemnity Bond in lieu of security deposit and the Entity allowed by the Authority to submit an Indemnity Bond shall submit, along with its application for registration,

NOW therefore, the Government of, agrees and undertakes at all times to save, defend, and indemnify and keep indemnified the Authority from and against all actions, suits, proceedings, accounts, claims and demands whatsoever for an amount of Rs.....(rupee only) (as detailed at Annexure) to the extent of limits to be worked out as provided in paragraph (c) above and as per the conditions of this indemnity bond noted below: -

- 1. M/s..... (Name of the entity/ies) shall comply with all the obligations to be performed on their part under the Authority's rules and regulations.
- 2. The Government of undertakes to keep the Authority indemnified for an amount stated in para c above until six months, after cancellation, rejection or surrender of registration or until after satisfaction of every claim whichever is later.
- 3. M/s..... (name of the entity/ies) shall be discharged of its obligation under Indemnity Bond in respect of a warehouse, if:
 - a. an application for renewal of registration of the warehouse has been rejected and if the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per the requirements of the rules;
 - b. a warehouseman surrenders his certificate of registration, and the Authority accepts such surrender; or

|--|

- [PART III—SEC.4]
- c. the certificate of registration of a warehouse is cancelled, and the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per the requirements of the rules.
- 4. M/s.(Name of the entity/ies) undertakes not to increase the charges payable by depositors within the period of Negotiable Warehouse Receipts issued to them.
- 5. The Government of hereby agrees that in case any losses or damages, if suffered by the Authority (to the extent of paragraph (c) above), the same shall be indemnified by the Government of
- 6. This Indemnity Bond shall have validity till _____ day of _____ (month) _____ 202......

In witness where of signed this Indemnity Bond is executed o	n thisday of
	2025 .

Executor

Name:

Designation:

Organisation:

(With Seal)

S

In the presence of witnesses:

(1)

(2)

Annexure to the Third Schedule

Details of Primary Agricultural Cooperative Credit Society/ies included in the Indemnity Bond

Sl. No.	Name of the Primary Agricultural	Address of the	No. of warehouses	Capacity in Metric Ton
	Cooperative Credit Society	Primary		
		Agricultural		
		Cooperative		
		Credit Society		

JEETESH SHARMA, Director(Admn. & Fin.) [Advt.-III/4/Exty./204/2025-26]

6